कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वारासी

प्रेस नोट

दिनांक-18.04.2025

विषयः- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त व अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व कुल 1,01,000/- रू0 अर्थदण्ड।**

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0638/2018 धारा 376डी,बी, 323,120बी भा0द0वि0 व 5जी/6,16/17 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- पुनवासी गुप्ता पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी जयापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी व अभियुक्ता 02- विमला देवी पत्नी पुनवासी गुप्ता निवासिनी जयापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-18.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/वि0 न्या0 पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त पुनवासी गुप्ता उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष (सश्रम) कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000/- रू0 अर्थदण्ड से तथा अभियुक्ता विमला देवी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 120-बी भा0द0वि0 सपठित धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।